



समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण

(वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय , भारत सरकार)

एम पी ई डी ए भवन, पनम्पिल्ली एवन्यू

डाक पेटी सं. 4272, कोच्चि-682 036।, भारत

REF: आरईजी/ जीसी/ओआर /1/2020

dt.28/05/2020

परिपत्र

विषय -कोविड -19 के कारण पंजीकरण प्रमाणपत्र के नवीनीकरण का विस्तार –संदर्भ में।


विभिन्न कार्यालयों द्वारा यह अभिवेदन दिया गया है कि कोविड -19 लिंकड लॉक डाउन अवधि के कारण, प्रसंस्करण इकाइयों, भंडारण परिसरों, हैंडलिंग केंद्रों और पीलिंग शेड के एमपीईडीए पंजीकरण प्रमाणपत्रों को एपीई यात्रा के अभाव में नवीनीकृत नहीं किया जा सका ।

तदनुसार पंजीकरण कार्यालयों को पंजीकरण का नवीनीकरण करने के निर्देश दिए जाएं:

1. पंजीकरण के नवीनीकरण के लिए आवेदन करने के लिए इकाइयों से अनुरोध करें
2. नवीनीकरण के पक्ष में एपीई के दौरे के बाद रिपोर्ट तैयार होने की तारीख तक पंजीकरण के नवीनीकरण तक समय व्यतीत होने पर छोड़ दे
3. पंजीकरण के नवीनीकरण की तिथि, पंजीकरण की वैधता की तिथि से पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू होगी।

गैर नवीकरण, गैर निर्यात, अधिनियम और नियमों के उल्लंघन आदि के मामलों में, नवीनीकरण एमपीईडीए अधिनियम और नियमों के प्रावधानों के अधीन होगा ।

एमपीईडीए अधिनियम और नियमों के तहत दिए अधिकार के साथ प्रत्यायोजित सभी पंजीकरण अधिकारियों को उन संस्थाओं के नवीनीकरण के लिए तुरंत आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया जाता है जिन्होंने निर्धारित समय के भीतर अपना पंजीकरण नवीनीकृत नहीं किया है। यह आदेश जब तक कि ईआईए द्वारा एपीई दौरे की व्यवस्था करने के लिए स्थिति में सुधार नहीं होता है और केंद्र और साथ ही संबंधित राज्य सरकार द्वारा लॉक डाउन प्रतिबंध को हटाने के आधार तक ही वैध रहता है।



बी.श्रीकुमार
सचिव

परिचालन -

सभी क्षेत्रीय कार्यालय

मुख्यालय में सभी अनुभाग प्रमुख

प्रतिलिपि - ई-एमपीईडीए में आवश्यक प्रावधान करने हेतु प्रणाली विश्लेषक के लिए।

प्रतिलिपि - निदेशक / निदेशक (एम) - कृपया जानकारी के लिए।

समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण

(वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार)

एम पी ई डी ए भवन, पनंपिल्ली एवन्यू
डाक पेटी सं. 4272, कोच्ची - 682 036, भारत

The Marine Products Export Development Authority

(Ministry of Commerce & Industry, Govt. Of India)

MPEDA House, Panampilly Avenue,

P.B. No. 4272, Kochi-682 036. India



फोन } 2311979, 2311901
2311854, 2311803
Phone } 2313415, 2314468
2315065

फाक्स } : 91-484-2313361
Fax }

E-mail : ho@mpeda.gov.in

Website : www.mpeda.gov.in

संदर्भ/Ref: REG/GC/OR/1/2020

तारीख/Date: 28.05.2020

C I R C U L A R

Sub: Extension of Renewal of Certificate of Registration Due to COVID-19 - reg.

It has been represented by various offices that due to COVID -19 linked lock down period, MPEDA registration certificates of processing units, storage premises, handling centres and peeling sheds were unable to be renewed for want of APE visit.

Accordingly instructions may be given to the registering offices to renew the registration as:

1. Request the units to apply for renewal of registration
2. Condone the time lapse till renewal of registration upto the date of report generation after APE visit in favour of renewal.
3. The date of renewal of registration will have retrospective effect from the date of validity of registration.

In cases of non renewal, non export, violation of Act & Rule etc, renewal will be subject to the provisions of MPEDA Act & Rules.

All the registering authorities delegated with the power under MPEDA Act & Rules are directed to immediately take necessary actions for renewal of those entities which have not renewed their registration within prescribed time. The order stands valid till the situations improve to arrange APE visit by EIAs and based on the removal of lock down restrictions by the Central as well as respective State Government.


(B. Sreeekumar)
Secretary

Circulation:

All Field Offices

All Section Heads in HO

Copy to:- SA for making necessary provision in the e-mpeda.

Copy to:- Director / Director (M)- for information please.